न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–07/2015

कमलेश्वरी प्रसाद यादव बगैरह.....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

रणवीर कुमार बगैरह.....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
10.8.15	**आदेश** आवेदक 01.कमलेश्वरी प्रसाद यादव, पे0–स्व0 तीसी यादव, साकिन–चन्द्रनगर, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया 02.कपिलदेव प्रसाद यादव पे0–स्व0 रामजी यादव, ग्राम–आवासबोर्ड, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया व 03. गोपाल सिंह पे0–स्व0 आलोक सिंह, साकिन–हाजीपुर बलुआही, थाना–नगर थाना, खगड़िया, जिला–खगड़िया ने 01.रणवीर कुमार (नाबालिक), 02.रामभरोस कुमार (नाबालिक), 03.गुलशन कुमार (नाबालिक), पेसरान–श्री भोला यादव, सभी साकिनान–चन्द्रनगर, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया को विपक्षी प्रथम पक्ष एवं 04.आत्मा प्रसाद सिंह पे0–स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह, साकिन–हाजीपुर बलुआही, थाना–नगर थाना, खगड़िया, जिला–खगड़िया को विपक्षी द्वितीय पक्ष बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–36A/2013–14 में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण वाद लाया है। इनका कहना है कि निम्न न्यायालय में विपक्षीगण को नाबालिक होना दर्शाया है, परन्तु प्रावधानानुसार उनके लिए वाद मित्र को अपील दायर करना चाहिए था, लेकिन नियमाकुल ऐसा नहीं किया, इसलिए वाद खारिज योग्य है। उभयपक्ष के बीच विवादित भूमि को लेकर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–73/2013 चला था, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2014 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील वाद संख्या–111/14 दायर किया, जिसपर आयुक्त महोदय ने दिनांक 24.05.2014 को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। निम्न न्यायालय ने दिनांक 24.05.2014 को अंतिम आदेश पारित कर दिया, जबकि उन्हें आवेदकगण आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश की सूचना भी दे चूँके थे। आवेदकगण आगे बताते है कि उन्होंने निबंधित केवाला संख्या–~~42/1985~~ 4285 एवं ~~42/1986~~ 4286 द्वारा प्रश्नगत खेसरा–2015 का 15–15 कट्टा कुल 01 बीघा 10 कट्टा जमीन खरीदकर उसपर दखलकार है। उनका यह भी कहना है कि इससे पूर्व प्रश्नगत भूमि पर कमलेश्वरी प्रसाद यादव वहैसियत बटाईदार थें, तथा उनके पिता–स्व0 तिसी यादव उसपर अपने जीवनकाल तक बटाईदार के रूप में जोत आवाद करते रहे, इस प्रकार करीब 42–43 वर्षो से लगातार आजतक उसपर दखलकार है। फसल बांटने को लेकर उभयपक्ष के बीच विवाद खड़ा होने पर उसकी जाँच में अंचल अधिकारी, खगड़िया ने प्रश्नगत जमीन पर फसल कमलेश्वरी यादव द्वारा लगाया जाना प्रतिवेदित किया था, जिससे आवेदकगण का दखलकार होना प्रमाणित होता है। निम्न न्यायालय ने दखल कब्जा देखें बिना ही दाखिल खारिज की स्वीकृति विपक्षी के पक्ष में पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। जमीन का बिक्रेता गोपाल प्रसाद सिंह है। शपथपत्र के द्वारा ब्यान दिया है	

रीख	आदेश एव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

कि कमलेश्वरी प्रसाद यादव अपने पिता स्व0 तीसी यादव के जीवनकाल से लेकर आजतक विवादी भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है।

आवेदकगण आगे बताते है कि अंचल अधिकारी, खगड़िया विपक्षीगण के दाखिल खारिज वाद संख्या–292/2013–14 को दिनांक 19.08.2013 को एक बार खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण ने निम्न न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–36A/2013–14 लाया परन्तु इस वाद का निम्न न्यायालय में लंबित रहने की स्थिति में ही अंचल अधिकारी, खगड़िया ने एक नया दाखिल खारिज वाद संख्या–186/2014–15 खोलकर दिनांक 09.07.2014 को विपक्षीण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध भी आवेदकगण ने निम्न न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–32/2014–15 दिनांक 28.01.2015 को दाखिल किया है जो लंबित है।

आवेदकगण ने स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह को प्रश्नगत जमीन का खेसरा संख्या–2025 के मूल स्वामी बताते हुए उनकी वंशावली भी अपनी अर्जी में दी है, और कहा है कि आवेदकगण प्रश्नगत भूमि को स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह के पोता गोपाल प्रसाद सिंह से खरीदी है, जबकि विपक्षीगण ने स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह के बेटा आत्मा प्रसाद सिंह से खरीद की है। इसलिए उभयपक्षों के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद है, बाबजूद इसके निम्न न्यायालय विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है।

अंत में आवेदकगण ने दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–36A/2013–14 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अपने पिता के माध्यम से विपक्षीगण प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहते है कि श्री आत्मा प्रसाद सिंह पे0–स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह, ग्राम बुलआही, थाना–नगर थाना, खगड़िया, जिला–खगड़िया, खांता संख्या–113, के खेसरा संख्या–2025 के स्वामित्व एवं दखल में थे। उन्हें पैसे की जरूरी हुयी तो उन्होंने खेसरा संख्या–2025 की 01बीघा 10कट्टा भूमि निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 26.06.2013 को भोला यादव को उनके पुत्र विपक्षी संख्या–01 से 03 के नाम से बिक्री कर दी और अंचल अधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया तो उसपर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि एक मटुकी यादव प्रश्नगत भूमि पर मकई और धान लगाये हुए है। दिनांक 08.07.2013 को आवेदकगण ने अंचल अधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में एक आपत्ति आवेदन देकर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा इस बिना पर किया कि उन्होंने विवादी जमीन गोपाल प्रसाद सिंह पे0–आलोक प्रसाद सिंह से दिनांक 03.07.2013 को कमलेश्वरी यादव एवं कपिलदेव यादव के नाम खरीदी है। अंचल अधिकारी, खगड़िया ने आवेदकगण के मेल में आकर उनका नामांतरण आवेदन पत्र खारिज कर दिया, तत्पश्चात विपक्षी रणवीर कुमार एवं अन्य ने अपील वाद संख्या–36A/2013–14 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में दायर किया एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने विपक्षी के पक्ष में अपील वाद स्वीकृत कर लिया। आवेदकगण ने एक काल्पनिक आधार पर यह पुनरीक्षण वाद लाया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–73/2013 में पारित आदेश में पुनरीक्षणकर्त्ताग्रण को विपक्षी के

क्रम और तारीख 01	आदेश एव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जे पर हस्तक्षेप करने से रोका है। उसी के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने विपक्षी के नाम दाखिल खारिज अपील स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, खगड़िया का आदेश खारिज कर दिया। इन्होंने भी प्रश्नगत भूमि स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह का बताया है। स्व0 परमेश्वरी प्रसाद सिंह को दो पत्नी थी बताया है। श्री आत्मा प्रसाद सिंह प्रथम पत्नी सावित्री देवी के पुत्र हुए तथा गोपाल प्रसाद सिंह द्वितीय पत्नी शिवझरी देवी के पुत्र स्व0 आलोक कुमार सिंह के पुत्र हुए। विपक्षी आगे बताते है कि उनके पिता मटुकी यादव प्रश्नगत भूमि मौजा–दक्षिण माड़र अराजी 01बीघा 10कट्ठा पर बटाईदार थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भोला यादव बटाईदार के रूप में जोत–अबाद करते रहे। बाद में दिनांक 26.06.2013 को उक्त जमीन भोला यादव एवं विपक्षी के पिता ने रणवीर यादव एवं अन्य के नाम खरीद ली तथा अंचल सिरिस्ता में अपने नाबालिग पुत्रों के नाम जमाबंदी संख्या–1175 भी कायम करवा ली। विपक्षी बताते है कि परमेश्वरी प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद उनकी दोनों पत्नी ने 29.11.2011 को निबंधित बंटवारा विलेख के माध्यम से सम्पति का बंटवारा कर लिया और प्रश्नगत भूमि को आत्मा प्रसाद सिंह के हिस्से में बताया है, जिसे विपक्षीगण ने अपने पिता भोला यादव के माध्यम से खरीदी है। विपक्षी आगे और बताते है कि आवेदकगण कमलेश्वरी यादव एवं कपिलदेव यादव ने केवाला संख्या–4286 एवं 4285 द्वारा दिनांक 03.07.2013 से प्रश्नगत भूमि का 15–15 कट्ठा जमीन अवैध रूप से गोपाल प्रसाद सिंह से क्रय कर लिया है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। इस पर विपक्षी ने भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद संख्या–73/2013 दायर किया, जिसमें आदेश इनके पक्ष में पारित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्तागण आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के न्यायालय में अपील वाद संख्या–111/2014 लाया हैं जो सुनवाई पर लंबित बताया गया है। विपक्षी आगे और बताते है कि आवेदकगण ने प्रश्नगत भूमि का नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में नामांतरण वाद संख्या–186/2014 लाया था, जिसे अंचल अधिकारी, खगड़िया ने आवेदकगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल नहीं पाते हुए दिनांक 09.07.2014 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध आवेदकगण ने एक दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–32/2015 लाया है जो भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया एवं बी0एल0डी0आर0 अपील वाद संख्या–111/2014 अपीलीय न्यायालय में लंबित है और पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा जमाबंदी संख्या–1175 को रद्द करने हेतु लाया गया यह वाद कानुन की दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है और खारिज योग्य है। पुनरीक्षणकर्त्ता के विक्रेता को प्रश्नगत भूमि पर न तो स्वत्व न ही दखल था और वे (आवेदकगण) बाद के क्रेता है। अंत में विपक्षीगण ने वाद खारिज करने का अनुरोध किया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 10.12.2014 को दाखिल खारिज अपील	

क्रम और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	वाद संख्या–36A / 2013–14 में पारित आदेश का भी गहण अध्ययन किया। उन्होंने विपक्षी के नाम उनके दस्तावेज के अनुरूप दाखिल खारिज करने हेतु अचंल अधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया है, जिसका आधार उन्होंने अपने ही न्यायालय का बी0एल0डी0आर वाद संख्या–73 / 2013 भोला यादव बनाम कमलेश्वरी प्रसाद यादव एवं अन्य में विपक्षी के पक्ष में पारित आदेश को बताया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। उभयपक्ष के बीच विवाद का मूल कारण मृत जमाबंदी रैयत के वारिसानों के बीच उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं होना प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य ~~पक्षकारों~~ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण को जमाबंदी रैयत के पोता तथा विपक्षी को उनका पुत्र द्वारा एक ही जमीन को बिक्री करने के कारण उस पर दावा लेकर पक्षकारों के बीच आपस में विवाद है और इसके कारण पक्षकारों के बीच न्यायालय में निरंतर मामला प्रतिमामला दायर किया जा रहा है। इस प्रकार जबतक तथाकथित आवदेकगण एवं विपक्षीगण का केवाला की वैधता सक्षम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णीत नहीं हो जाता है तब तक विवाद का निराकरण असंभव प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि को मूल जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में पुर्नस्थापित करते हुए पीड़ित पक्षों को सलाह दिया जाता है कि वे अपना–अपना केवाला की वैधता का निर्णय हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय का शरण ले सकते है। विपक्षी की जमाबंदी सं0 1175 खारिज किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को उसके मूल अभिलेख के साथ वापस करें, साथ ही एक प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे। आदेश की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित 10/8/15 — अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 10/8/15 — अपर समाहर्त्त, खगड़िया। ज्ञा0 सं0 – 371 दिनांक – 27.11.2015 / प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित / साथ आपको मूल अभिलेख वापस किया जाता है। प्रतिलिपि :- N.I.C., खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। 27/11/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 26/11/15 [मुहर: अपर समाहर्त्ता, खगड़िया समाहरणालय]	25/11/15